मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3/11/2002/1/3

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2002
5 अगस्त, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :—राज्य शासन के विभिन्न विभाग/स्थापनाओं में कार्यरत नियमित शासकीय सेवकों के लिए ''फरलो योजना''।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों/स्थापनाओं में कार्यरत् नियमित शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन निम्नानुसार ''फरलो योजना'' लागू करता है :—

1. योजना का नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति :

1. यह योजना ''मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (फरलो) योजना, 2002'' कहलायेगी।

2. यह योजना इस ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

3. इस योजना के अन्यथा उपबंधों को छोड़कर, यह योजना ऐसे नियमित शासकीय सेवकों के लिए लागू होगी, जो मध्यप्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त हैं, और जो उन स्थापनाओं में नियुक्त/कार्यरत् हैं, जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

परन्तु यह योजना निम्नलिखित विभागों के, प्रत्येक के सामने कोष्ठकों में वर्णित शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगी :—

(क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा, सह चिकित्सा पैरा मेडिकल और तकनीकी स्टाफ),

(ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ, सह चिकित्सा पैरा-मेडिकल और तकनीकी स्टाफ),

(ग) तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग (अध्यापन स्टाफ, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

(घ) उच्च शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ, पुस्तकालय, खेल तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

(ङ) स्कूल शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

(च) आदिम जाति कल्याण विभाग (अध्यापन स्टाफ तथा प्रयोगशाला स्टाफ),

(छ) गृह (पुलिस) विभाग (अलिपिकवर्गीय),